

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-721 / 2003  
संस्थित दिनांक-29.04.1995  
फाई. क.23450300051995

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**

**// / विरुद्ध // /**

1. श्री सिलबेस्तर पिता स्व० जोसेफ एक्का, जाति उराव,  
उम्र-34 साल, जल संसाधन अनुविभाग, बैहर जिला बालाघाट।
2. श्री दादूलाल पिता लालजी आरमो, जाति गोंड,  
उम्र-35 साल, निवासी-वार्ड नं.5, निवासी करमसरा मलाजखंड,  
हालमुकाम-जल संसाधन अनुभाग क्रमांक-1, बैहर (फौत)
3. डी.आर. लोंगरे पिता बी.एल. लोंगरे, उम्र-40 साल  
साकिन मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग सिवनी, (फौत)
4. जाहिद अली पिता साहेब अली, उम्र-48 वर्ष,  
निवासी वार्ड नंबर-5 नरसिंहटोला बैहर, (फौत)

— — — — **आरोपीगण**

**// / निर्णय // /**

**(दिनांक 21 / 11 / 2017 को घोषित)**

**01—** अभियुक्त सिलबेस्तर एक्का पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409, 420/34 के तहत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 13.05.93 से दिनांक 29.05.93 तक ग्राम सिंघबाघ जलगांव एवं मानिकपुर में लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में सह आरोपीगण के साथ एक राय होकर उक्त ग्रामों की स्टाप डेम, डायवर्सन तालाब निर्माण हेतु राहत मद की स्वीकृत राशि में न्यस्त होते हुये राहत कार्य के 61,798 रुपये के गबन का कार्य कर आपराधिक न्यास भंग किया तथा राहत कार्य के मद की राशि में से सदोष लाभ प्राप्ति हेतु फर्जी मस्टर रोल क्र.-125, 127, 926 से 938, 352 से 356, 941, 942, 335 से 342, 936 से 948, 127, 128, 343, 347, 331, 935, 87, 571 से 574, 79 से 87 तक, 567 से 578 तक उक्त मस्टर रोल काल्पनिक नाम तथा अधिक कार्य दिवस का उल्लेख कर बेइमानीपूर्वक प्रवंचित कर शासन से छल

किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 1993 में सिंघबाघ टैंक तथा मानिकपुर तालाब का निर्माण कार्य राहत कार्य के अंतर्गत सब इंजीनियर दादूलाल आरमो, सब इंजीनियर एस. एक्का, एस.डी.ओ. डी.आर. लोंगरे तथा समयपाल जाहिद अली द्वारा सामूहिक रूप से निर्माण कार्य कराया गया था। उक्त दोनों तालाब के निर्माण कार्य में सभी अभियुक्तगण ने मिलकर फर्जी मस्टर रोल तैयार कर करीब एक लाख रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी कर शासकीय राशि का गबन किये एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एस.डी.ओ. लोंगरे एवं सब इंजीनियर ने भारी अनियमिततायें की। उक्त शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच नायब तहसीलदार श्री आर.के. सिंग द्वारा की गई। उक्त जांच में अभियुक्तगण द्वारा शासकीय राशि का गबन करना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न है। अभियुक्तगण से संबंधित विवादित दस्तावेज परीक्षण हेतु भोपाल भिजवाई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 23/95 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण दादूलाल, डी0आर0 लोंगरे तथा जाहिद अली के मृत होने से उनके विरुद्ध प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई तथा शेष आरोपी सिलबेस्टर एक्का को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409, 420/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में स्वयं का परीक्षण कराया है।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

**01.** क्या आरोपी सिलबेस्टर एक्का ने घटना दिनांक-13.05.93 से दिनांक 29.05.93 तक ग्राम सिंघबाघ जलगाव एवं मानिकपुर में लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में उक्त ग्रामों की स्टाप डेम, डायवर्सन तालाब निर्माण हेतु राहत मद की स्वीकृत राशि में न्यस्त होते हुये राहत कार्य के

61,798/- रुपये के गबन का कार्य कर आपराधिक न्यास भंग किया ?

**02.** क्या आरोपी सिलबेस्तर एक्का ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ एक राय होकर राहत कार्य के मद की राशि में से सदोष लाभ प्राप्ति हेतु फर्जी मस्टर रोल क्र.-125, 127, 926 से 938, 352 से 356, 941, 942, 335 से 342, 936 से 948, 127, 128, 343, 347, 331, 935, 87, 571 से 574, 79 से 87 तक, 567 से 578 तक उक्त मस्टर रोल काल्पनिक नाम तथा अधिक कार्य दिवस का उल्लेख कर बेइमानीपूर्वक प्रवंचित कर शासन से छल किया ?

**—विवेचना एवं निष्कर्ष :—**

**05— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**06—** साक्षी सूक्कू अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण में से दो अभियुक्तगण को चेहरे से जानता है, परंतु उनके नाम उसे नहीं मालूम। अनुपस्थित अभियुक्त लोंगरे को भी वह नहीं जानता है। घटना कितने दिन पहले की है उसे याद नहीं है। वह सिंघबाग में जो डेम बन रहा था, वहां मजदूरी करने जाता था, परंतु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका कोई ब्यान नहीं लिया था। पुलिस ने उसका नाम पूछा था तो उसने अपना नाम बताया था। वह नहीं बता सकता कि उसका नाम गवाहों की सूची में पुलिस के द्वारा कैसे डाल दिया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी क्रमांक 01 सिलबिस्तर को कभी भी न तो डेम में काम कराते देखा है और ना ही उसने उसे पहचाना है। उसने जो मजदूरी किया था, उसने उसका भुगतान पाया था।

**07—** साक्षी बालकराम अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह तालाब में

काम करने सिंगबाग जाता था। नायब तहसीलदार जांच करने आए थे, तब उससे पूछताछ किए थे। बयान प्र.पी.01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है, कितने मजदूर काम करते थे वह नहीं बता सकता। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस दिन तहसीलदार जांच करने के लिए गए थे, उस दिन 190 मजदूर काम कर रहे थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि डूडगांव से 50 आदमी काम करते थे। डूडगांव के लोग काम करने आते थे, किंतु कितने थे वह नहीं बता सकता। कितने मजदूर पत्थर तोड़ते थे उसे नहीं मालूम। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वहां पर जो सब इंजीनियर काम करता था उसको लोग आर्मी साहब कहते थे वही मजदूर लगवाकर काम करवाते थे। पैसा बांटने एक दूसरा साहब आता था उसका नाम वह नहीं जानता।

**08—** साक्षी नारायण अ.सा.03 ने कथन किया है कि उसके गांव में कुंजीलाल, जयसिंह, केदूराम, अमरसिंह वल्द बृजलाल, चमारसिंह वल्द चरण, बेनी वल्द अंतराम, राजू वल्द जगन्नाथ, अमरत पिता रामलाल, प्रेमलाल पिता स्वरूप, जैतूलाल पिता रतीराम, भगवती पिता जगतू, राधेलाल पिता सोनू, अमरसिंह वल्द प्रेम, माधो वल्द बारेलाल, चरण वल्द रामलाल, अंतराम वल्द गोविंद, जगन पिता महिपाल, धनिया पिता चरण, स्वरूपा पिता टेकराम के नाम के व्यक्ति डूडगांव में नहीं हैं। वह जन्म से ही डूडगांव का रहने वाला है। उसके गांव में उन नामों के कोई व्यक्ति आज तक नहीं रहे और ना ही उसे इनके बारे में जानकारी नहीं है। डूडगांव 100-125 घर की बस्ती है। वह गांव के सभी लोगों को जानता है। पंचनामा प्र.पी.02 पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**09—** साक्षी नारायण अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि तालाब में अलग-अलग कोनों पर लोग काम करते थे। उसके गांव में जितने लोग अभी जिंदा हैं या घटना के समय जो जिंदा थे उन सभी का नाम जानता है। दूसरे गांव के लोगों का नाम नहीं जानता। दूसरे गांव के कौन व्यक्ति काम करते थे नहीं मालूम। उसके गांव के

कौन-कौन लोग करते थे आज ध्यान नहीं है। काम खत्म होने के कितने बाद जांच करने साहब आए थे उसे जानकारी नहीं है। जो नाम उसने आज बताए हैं वे बाजू गांव के व्यक्ति हो तो जानकारी नहीं है। उसे उसके काम का पैसा मिल गया। दूसरे लोगों के बारे में उसे नहीं मालूम।

**10—** साक्षी नारायण अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में यह कथन किया है कि काम कराने के लिए जो साहब आते थे उनका नाम उसे नहीं मालूम, किन्तु जो बाबू काम कराता था वह अली बाबू था। उनकी हाजिरी वही बाबू भरता था, किन्तु पैसा बांटने साहब लोग आते थे उनका नाम उसे नहीं मालूम। सिंघबाघ के तालाब में काम चलता था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 04 में कथन किया है कि महावीर मंदिर के थोड़े आगे डूडगांव में रहता है। वहां 2-3 टोला है। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त नाम के व्यक्ति दूसरे टोला में हो। साक्षी के अनुसार वह बस्ती के सभी लोगों को जानता है। यदि बच्चे हो तो वह नहीं बता सकता। उसके बराबरी के उस समय जो रहे होंगे या उस समय काम करने वाले लोग रहे होंगे उनका नाम वह जानता है। डूडगांव में नवाटोला भी है। उपरोक्त बताये हुए नाम के व्यक्ति नवाटोला में नहीं है, क्योंकि नवाटोला में सभी व्यक्ति को पहचानता है।

**11—** साक्षी रजपाल अ.सा.14 ने कथन किया है कि वर्ष 1994 में पुलिस वालों ने पंचनामा बनाया था। पंचनामा इस बात का बनाया गया था कि मस्टर रोल क्र.936 में दर्ज मजदूर रौंदाटोला के निवासी है या नहीं। मस्टर रोल में दर्ज बहुत से मजदूर रौंदाटोला में रहना नहीं पाये थे। पंचनामा प्रपी-09 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह ग्राम रौंदाटोला जेल बिल्डिंग के सामने निवास करता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रौंदाटोला का काफी बड़ा क्षेत्र है, वह रौंदाटोला के समस्त लोगों को नहीं जानता है। उसके द्वारा प्रपी-09 में हस्ताक्षर बस स्टैंड में किया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्रपी-09 को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही उसे पढ़कर सुनाया गया था, उसे इस



बात की जानकारी नहीं है कि प्रपी-09 में किसके नाम अंकित थे, प्रपी-09 में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। उसने प्रपी-09 में तीन बजे हस्ताक्षर किया था, किस तारीख, महिना और सन् में हस्ताक्षर किया था, उसकी जानकारी नहीं है।

**12-** साक्षी रामसिंह अ.सा.06 ने कथन किया है कि पुलिस वाले ग्राम रजमा गये हैं। घटना पुरानी होने के कारण उसे याद नहीं है कि किस सन् में पुलिस वाले उसके गांव गये थे। पुलिस वालों ने पंचनामा प्रपी-4 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस वालों ने पंचनामा इस बात का बनाया था कि पंचनामा प्रपी-4 में दर्शित 1 से 19 व्यक्ति गांव में नहीं रहते। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस वालों ने प्रपी-4 में हस्ताक्षर पेड़ के नीचे करवाया था। उसने पुलिस वालों के साथ गांव में घर-घर जाकर नहीं ढूंढा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक आदमी गांव में रहने वालों के बारे में नहीं जानता तथा प्र.पी.04 का दस्तावेज उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। पुलिस वालों ने उससे कहा था कि दस्तखत कर दो उसके दस्तखत कर दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 में उल्लेखित 1 से 19 व्यक्ति गांव में ही रहते हैं।

**13-** साक्षी अजय कुमार अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह बाबूलाल, रामलाल, भीम, छोटेलाल, मनीराम, तीजूलाल, भगतसिंह, सरवन, बिरनसिंह, जयराम, प्रेमसिंह, पंचम, गोबरू, सोहनलाल, सुकरता, दसवंत, उर्मिला, बैजंती, सोमवती, रूपा, लीलाबाई, सभी निवासी नरसिंहटोला को जानता है। उसके सामने पुलिस ने करीब 8-9 वर्ष पूर्व पतासाजी का पंचनामा नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसे पुलिस द्वारा बनाये गये उक्त पंचनामा की जानकारी नहीं है। प्रपी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने हस्ताक्षर कहां पर किये थे, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है।

**14-** साक्षी खेमचंद अ.सा.08 ने कथन किया है कि 10 वर्ष पूर्व

सिंघबाग तालाब में राहत कार्य मजदूरी करता था। उसने करीब 01 माह काम किया था। उसे रोजनदारी पर रखा गया था। उसे करीब 60-70/- रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती थी। वह बैलगाड़ी लेकर तालाब से पानी ढोने का काम करता था। उसके अलावा गांव के और भी अन्य व्यक्ति मजदूरी करते थे। उसके साथ सग्रीव, प्रेमलाल, गब्बूलाल आदि लोग गये थे। वर्सियर आर्मो साहब थे। उसका नाम मस्टर रोल रजिस्टर में लिखा था। प्रेमलाल, कुंवर, सग्रीव व फंदीलाल के नाम मस्टर रजिस्टर में लिखे थे। वह फंदीलाल और प्रेमलाल को जानता है। वह डूडगांव का निवासी है। कुंजीराम, कालूराम, रघु, इमरत उसके गांव के हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे काम के हिसाब से पैसा मिला था, काम का बटवारा एस.डी.ओ. साहब करते थे, उनका नाम उसे मालूम नहीं है। काम के दौरान एस.डी.ओ. और तहसीलदार आते थे।

**15—** साक्षी नान्हीबाई अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपी आर्मो को जानती है। उसके न्यायालयीन कथन से 10 वर्ष पूर्व सिंघबाग तालाब के राहत कार्य में उसने मजदूरी की थी। उसे मजदूरी में प्रतिदिन 26/- रुपया दिया जाता था। उसके गांव के नानकराम, बलराम, खेमचंद, येशराम, मेश्राम आदि लोग काम किये थे। उसे मेहनत का पूरा पैसा मिल गया था। वह आज नहीं बता सकती कि उसे किस आरोपी के द्वारा पेमेन्ट किया जाता था, क्योंकि दस वर्ष हो चुके हैं। कुंजीलाल, बालूराम, अमरसिंह, चमारसिंह, बेनीराम, रग्घू, प्रेमलाल, चंदू, रतिराम, भागवती, उसके गांव के रहने वाले थे। उक्त व्यक्ति भी मजदूरी का कार्य किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, उसने अपने पुलिस कथन प्रपी-6 में ए से ए भाग की बात नहीं बतलाई थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उपरोक्त व्यक्ति उसके गांव के रहने वाले नहीं हैं तथा उक्त व्यक्तियों ने राहत कार्य में कोई मजदूरी नहीं की थी।

**16—** साक्षी कस्तूराबाई अ.सा.10 ने कथन किया है कि वह तीनों

आरोपीगण को जानती है। उसने करीब 8-9 वर्ष पहले सिंघबाग तालाब के तरफ मजदूरी का कार्य किया था। उसे प्रतिदिन साढ़े 28/- रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गयी थी। उसे एस.डी.ओ. द्वारा भुगतान किया गया था। आरमो साहब उनसे काम करवाते थे। कुंजीलाल, अमरसिंह, बेनीराम, रघू एवं इमरत को जानती है, जो उसके गांव के निवासी है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने बयान प्रपी-7 में ए से ए की बात बतलायी थी तथा अमरसिंह, कुंजीलाल, बेनीराम, रघू एवं इमरत उसके ग्राम डूडगांव के निवासी नहीं है।

**17-** साक्षी मक्कनसिंह अ.सा.12 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना के समय वह सिंघबाग तालाब में राहत में हफ्ता भर काम करता था। उसे 26.50 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलती थी। मस्टर रोल टाईम कीपर लिखता और हाजरी भरता था, रुपये बंटवारा एक दाढ़ी वाला करता था, जिसका नाम उसे नहीं मालूम। उसके गांव में टेकराम, बेनीराम, गणेश, पूसूलाल नाम के व्यक्ति रहते हैं, उसे टेकराम, गणेश, गेंदसिंह, पूसूलाल के बाप का नाम नहीं मालूम। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान का अ से अ भाग पढ़कर सुनाये जाने पर न लिखवाया जाना बतलाया है।

**18-** साक्षी धीरपाल अ.सा.13 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसने करीब 12 साल पूर्व सिंघबाग तालाब में राहत में मजदूरी का काम किया था। आरोपी जाहिद अली मस्टर रोल में हाजरी लगाता था। न्यायालय में हाजिर आरोपी आमो काम की देख-रेख करने जाता था। आरोपी डी.आर. लोंगरे पैसा बांटने जाते थे। उसके द्वारा किए गए कार्य का पैसा मिल गया था। इसके अलवा उसे अन्य जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान का अ से अ भाग पढ़कर सुनाये जाने पर न लिखवाया जाना बतलाया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन



सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सिंघबाग के तालाब के अलावा अन्य मानिकपुर तालाब में काम नहीं किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी सिलबिस्तर तालाब में काम करने के दौरान नहीं आया था।

**19—** साक्षी बुधनलाल अ.सा.15 ने कथन किया है कि वह करीब 12 साल पूर्व ग्राम सिंघबाग तालाब में मिट्टी फेंकने का काम करता था। उस समय श्याम, शिवलाल, रामू, गोकुल वल्द लिखन, मानिकराम वल्द लिखबू, धरमसिंह पिता सुखन, सालिकराम वल्द गुलाब, बिरजू वल्द धरम उनके साथ काम करते थे। मस्टर रोल को हाजिर अदालत खान बाबू लिखता था। मजदूरी का पैसा एस.डी.ओ. साहब बांटते थे। उपर्युक्त व्यक्ति उनके ही गांव के हैं। आरोपीगण के विरुद्ध क्या मामला है, उसकी उसे जानकारी नहीं है।

**20—** साक्षी बुधनलाल अ.सा.15 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। वह बचपन से ग्राम सिंघबाग में निवास कर रहा है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सिंघबाग छोटा गांव होने के कारण सभी लोग को जानता है, उक्त तालाब के काम मस्टर रोड में नरसिंह टोला वाला अली बाबू मजदूरी का नाम लिखता था, आर्मी सब इंजीनियर काम की देख-रेख करता था, एस. डी.ओ. साहब रूपया बांटता था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि जीवन पिता बहादुर, श्यामलाल पिता बबलू, शिवलाल पिता नवलसिंग, रामू पिता बालाराम, गोकुल पिता लिखन, मालिक पिता डिल्लूराम, धरम वल्द सुखन, सालिकराम पिता गुलाब, बिरजू पिता धरम उसके गांव के नहीं हैं, उक्त व्यक्तियों के वल्लियत इसलिए नहीं जानता है, क्योंकि वे खत्म हो चुके थे, करीब 20-25 साल पूर्व उक्त लोगों के पिता और अन्य लोगों के पिता खत्म हो गए थे। यह अस्वीकार किया है कि अली बाबू ने उक्त लोगों के फर्जी नाम लिखा था तथा आरोपीगण ने मजदूरी का फर्जी नाम लिखकर शासन की राशि का गबन किया था। साक्षी को उसका कथन प्रपी-09 अ से अ भाग सिंघबाग से—जाता था का कथन पढ़कर सुनाये जाने पर न लिखवाया जाना बतलाया था।

**21—** साक्षी कुंवरसिंह अ.सा.16 ने कथन किया है कि वह सिंगबाघ बांध में दो-तीन दिन 10-12 साल पहले काम किया था, जिसका पैसा उसे मिल गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने कभी सिंगबाघ में काम नहीं किया, मस्टर रोल में उसका फर्जी नाम लिखा है, संबंधित अधिकारी उसका पैसा खा गये हैं, जो आदमी गोगाटोला में नहीं है, उसका नाम मस्टर रोल में लिख दिये हैं। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी-27 पढ़कर सुनाये जाने पर अ से अ भाग में से ----- लिखे हैं”, ऐसा कथन नहीं दिया था, कैसे लिखा नहीं पता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है।

**22—** साक्षी लालसिंह अ.सा.21 ने कथन किया है कि वह सिंहबाग में काम करने 4-5 वर्ष पूर्व गया था। उसने 8-10 दिन 26/- रुपये की दर से काम किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह कुंवर को जानता है। वह मुन्नालाल, विष्णु, रमेश को नहीं जानता है। पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिए थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से 8-10 वर्ष पूर्व सिंहबाग में सिंहबाग तालाब का काम चला था, किन्तु अस्वीकार किया है कि वह एक भी दिन काम करने नहीं गया। उसे जानकारी नहीं है कि मस्टर रोल में फर्जी लिखकर शासकीय राशि का गबन किए। उसने उक्त बात अपने पुलिस बयान में नहीं बताई थी, आज बता रहा है। वह नहीं बता सकता कि मुन्नालाल वल्द बुधराम, रमेश वल्द जंगल, कुंवर वल्द अंकुरदास व विष्णु वल्द अंतराम उसके गांव में रहते थे या नहीं, नहीं मालूम। उसके गांव में चार-पांच सौ लोग रहते हैं।

**23—** साक्षी लालसिंह अ.सा.21 ने उसका पुलिस कथन प्रपी-35 का अ से अ भाग “वे गए साल से ..... मेरे गांव में नहीं हैं” न दिया जाना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लिखा पता नहीं। आज उसे न्यायालय में आने का कागज

नहीं मिला, पुलिस वालों ने आकर बताया था। वह उपस्थित आरोपी दादूलाल आरमो और जाहिद अली को जानता है। वह लोग सिंहबाघ व आसपास काम करवाए थे। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह आज आरोपीगण के दबाव में बयान दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह सिंहबाग में काम करने गया था, वहां तालाब कार्य के काम का पैसा उसे मिल चुका है, उसका गांव बहुत बड़ा है इसलिये वह सभी आदमियों को नहीं पहचानता है। वह मुन्नालाल, बुधराम को नहीं जानता है। वह कुंवरसिंह और विष्णु को जानता है जो उसके गांव में रहते हैं। रमेश को नहीं जानता, वहां तीन रमेश लोग रहते हैं। सभी नाम जो लिए गए उसके गांव में रहते हैं।

**24—** साक्षी मनीराम अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पंचनामा पत्रक प्र.पी.03 पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं किन्तु साक्षी ने इस सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे प्र.पी.03 पुलिस ने पढ़कर बताया था तथा पंचनामा कार्यवाही के संबंध में बताया था, तब उसने उस पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे, वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिये सत्य कथन नहीं कर रहा है। उसे याद नहीं है कि उसके हस्ताक्षर करते समय पंचनामा पत्रक प्र.पी.03 लिखा हुआ था या नहीं।

**25—** साक्षी सम्पत अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि सिंहबाग बांध में उसने मजदूरी नहीं की है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मस्टर रोल में उसका नाम फर्जी लिखकर उसके नाम का अंगूठा लिया गया है और रकम निकाल कर उपयोग किया गया है, उसने उक्त आशय का कथन पुलिस को दिया था। साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि वह

आरोपीगण से मिलकर सत्य कथन नहीं कर रहा है।

**26—** साक्षी ईशराम अ.सा.11 ने कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 8-9 साल पहले की है। वह सिंघबाग तालाब में मजदूरी के लिये गया था। उसे 26.50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्राप्त होती थी। उससे जाहिद काम कराया करता था। सिंघबाग एवं डूडगांव के मजदूर वहां पर काम करते थे। वह कुंजीलाल, जयसिंह, कालूराम, अमरसिंह, चमारसिंह, बेनीराम, रग्घू, इमरत एवं प्रेमलाल को जानता है। ये भी उसके साथ मजदूरी किया करते थे। ये सभी लोग डूडगांव के निवासी हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि कुंजीलाल, जयसिंह, कालूराम, अमरसिंह, चमारसिंह, बेनीराम, रग्घू, इमरत एवं प्रेमलाल आदि ग्राम डूडगांव के निवासी नहीं हैं। पुलिस कथन प्रपी-8 में उसके ए से ए पर ————— नहीं है” की बात नहीं बतलायी थी। यह अस्वीकार किया है कि उक्त व्यक्तियों के फर्जी नाम लिखकर मस्टर रोल बनाया गया था। उसे एस.डी.ओ. साहब मजदूरी का पैसा दिया करते थे, जिनका नाम उसे नहीं मालूम है।

**27—** साक्षी छत्तर अ.सा.17 ने कथन किया है कि खुमानसिंह उसका लड़का है। उसे प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसका थाने में पुलिस ने बयान लिया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी-28 के अ से अ भाग में से ————— लिखे हैं” तक का पढ़कर सुनाये जाने पर न लिखना बतलाया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है।

**28—** साक्षी झनकलाल अ.सा.19 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण द्वारा काम कराया गया था। उसने काम किया था और उसे पैसा मिला था। उसकी जानकारी से आरोपीगण ने कोई गबन, छल



नहीं किया था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये झूठी गवाही दे रहा है तथा आरोपीगण ने फर्जी मस्टर रोल तैयार कर शासकीय राशि का गबन किये थे।

**29—** साक्षी धन्नूलाल अ.सा.20 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह उपस्थित आरोपी व सभी आरोपीगण को जानता है। उसे आरोपीगण द्वारा फर्जी मस्टर रोल तैयार करने की जानकारी नहीं है। उसने कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। न्यायालय द्वारा साक्षी से प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सिंहबाग तालाब में काम किया है। आरोपीगण ने उसे काम से नहीं भगाया है। तालाब में 5-6 गांव के लोग काम करते थे। आरोपीगण ने फर्जी मस्टर रोल तैयार नहीं किया। साक्षी को पुलिस कथन प्रपी-34 पढ़कर सुनाए जाने पर उसने अ से अ भाग का बयान न देना व्यक्त किया है। पुलिस ने कैसे लिखा नहीं मालूम। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।

**30—** साक्षी निरपतसिंह अ.सा.22 ने कथन किया है कि वह दिनांक 05.01.94 को नगर निरीक्षक के पद पर थाना बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय बालाघाट का ज्ञापन क्रमांक 14433/राहत 93 दिनांक 20.10.1993 प्राप्त हुआ था, जिसमें अनुविभागीय जल संसाधन अनुविभाग एक बैहर एवं दो उपयंत्री श्री आर्मी एवं एस.इक्का(सिलबिस्तर) द्वारा शासकीय राशि का गबन एवं धोखाधड़ी करने का उसने अपराध क्रमांक 03/94 धारा-409, 420 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया था, जिसमें आरोपी जी.आर. डोंगरे, उपयंत्री जी.एल.आर्मी एवं सिलबिस्तर के विरुद्ध जुर्म कायम किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-36 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसके पश्चात उसने मौके पर जाकर गवाह नान्हीबाई, खेमचंद, कस्तुराबाई, ऐशराम, गनपत, मक्खनसिंह, बुधनलाल, शिवप्रसाद, कुंवरसिंह, धीरपाल, छत्तरसिंह, सदासिव, धन्नूलाल, बीरबल, लालसिंह, मोती, अतकसिंह, बलराम,

गुलाबसिंह, शिवप्रसाद, प्रीतमसिंह, प्रतापसिंह, उजयाबाई, सगनीबाई के कथन लिया था। इस प्रकरण की प्रारंभिक जांच आर.के.सिंह नायब तहसीलदार बैहर द्वारा की गई थी।

**31—** साक्षी निरपतसिंह अ.सा.22 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सिलबिस्तर किस डेम का प्रभारी था, किन्तु सभी एक साथ काम करते थे। साक्षी के अनुसार सभी अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्थ थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जांच में सिलबिस्तर इक्का के बीच अनियमितता नहीं पाई गई थी एवं जो उसे ज्ञापन क्रमांक जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राप्त हुआ था, उसमें अनियमितता के संबंध में सिलबिस्तर का नाम नहीं था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मस्टर रोल बनाता है वह मजदूरों को भुगतान नहीं करता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी भी राहत कार्य के लिये वितरण अधिकारी कलेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि डेम के राहत कार्य में किये गये कार्य हेतु एस.डी.ओ. अवधेश सिंह को वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। साक्षी के अनुसार यह तो नायब तहसीलदार आर.के.सिंह ही बतायेंगे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि कुछ लोगों के कथन उसने थाने में लिये थे।

**32—** साक्षी जी.सी. चौधरी अ.सा.18 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.12.94 को थाना बैहर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने ग्राम रजमा में 15.12.94 को पंचनामा बनाया जो प्रपी-4 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी का पंचनामा इस बात का था कि मस्टर रोल के व्यक्ति इस गांव में रह रहे हैं या नहीं। प्रदर्श पी-5 का पंचनामा गांव नरसिंहटोला का है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे उसके द्वारा बनाया गया था। प्रदर्श पी.-09 का पंचनामा ग्राम रौंदाटोला का उसने पंचनामा बनाया था, जिसके ब से ब भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसने कंपाउंडरटोला का पंचनामा प्रदर्श-28 बनाया था। उसने डूडगांव का प्रदर्श पंचनामा प्रपी-2

तैयार किया, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने सिंहबाग का पंचनामा प्रपी-3 बनाया, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने साक्षी चैनसिंह व संपतसिंह के बताए अनुसार बयान लेखबद्ध किया था। उसने आरोपी जाहिद अली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-31 बनाया था, जिसके अ से अभाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रपी-32 के अनुसार सिलबिस्तर एवं प्रपी-33 के अनुसार डी.आर. लोहरे को गिरफ्तार किया था।

**33—** साक्षी जी.सी. चौधरी अ.सा.18 से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने जो मजदूरों का पंचनामा तैयार किया है। उक्त पंचनामा में जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उनके सामने “हां” और जो नहीं रहते हैं उनके सामने “नहीं” लिखा है। पंचनामा में अनुपस्थित व्यक्तियों के संबंध में उसने पंच साक्षियों से पूछा था, जिन्होंने नहीं रहना बताया, जो व्यक्ति पंचनामा में नहीं थे, वे उसके तलाश करने पर कहीं नहीं मिले।

**34—** साक्षी जी.सी. चौधरी अ.सा.18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मौके पर घटना के समय पर सिंहबाग व मानिकपुर तालाब का काम संबंधी मस्टर रोल पहले बन चुका था। उसे पूर्व निर्मित तालाब में कितने गांव के लोगों ने काम किया इसकी जानकारी नहीं है। उसने मस्टर रोल एवं पंचो के बताए अनुसार पंचनामा तैयार किया। उसने मस्टर रोल में लिखित व्यक्तियों को नहीं पहचाना था। वह मस्टर रोल के व्यक्तियों को व्यक्तिशः नहीं पहचानता। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह मौके पर जाकर पंचनामा, गवाहों के बिना पूछे अपने मन से तैयार किया था। उसने विवेचना में गांव वालों को बुलाया था। गांव की ओर से कोई पंचायत नहीं हुई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पंच साक्षियों से कोई पूछताछ नहीं की थी, उसने पूरी लिखा-पढ़ी थाने में की थी।

**35—** साक्षी जी.सी. चौधरी अ.सा.18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह मौके पर रजमा नहीं गया था व साक्षियों को थाने में बुलाकर लिखा-पढ़ी की थी। उसने रजमा जाकर मात्र तीन

लोगों से पूछताछ की थी। पंचनामा में उन्नीस लोगों के नाम दर्ज हैं, वह नहीं मिले इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की थी। इसी प्रकार सभी पंचनामों में उल्लेखित व्यक्ति न मिलने से उनसे पूछताछ नहीं की गई। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि संभ्रांत नागरिकों को गांव के लोगों की जानकारी नहीं थी, वह ग्राम नरसिंहटोला नहीं गया था, नरसिंहटोला से तीन व्यक्ति को थाने बुलाकर हस्ताक्षर लिए। जिस समय विवेचना किया उस समय बैहर में नगर पंचायत थी व आज भी है। जिस समय उसने पंचनामा तैयार किया उस समय रौंदाटोला का क्षेत्रफल करीब डेढ़ कि.मी. था एवं वर्तमान में ढाई कि.मी. है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उस समय रौंदाटोला के लोग एक-दूसरे को नहीं जानते थे, संभ्रांत व्यक्ति के अलावा मात्र कोटवार और सरपंच व मुकद्दम के हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने अन्य पंचनामा में सरपंच, कोटवार एवं पार्षद, मुकद्दम पटेल के हस्ताक्षर नहीं लिए थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने चैनसिंह के बयान अपने मन से लिखें, संपतसिंह ने कोई बयान नहीं दिया व अपने मन से लेख किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने साक्षी चैनसिंह व संपतसिंह को पंचनामा का साक्षी नहीं बनाया था।

**36—** बचाव साक्षी सिलबेस्तर एक्का ब.सा.01 ने कथन किया है कि वह वर्ष 1993 में जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1 बैहर में उपयंत्री के पद पर पदस्थ था। राहत कार्य अंतर्गत मानिकपुर तालाब में कैम्प लगा था। उसके द्वारा नियमतः कार्य कराया गया था। उसके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कार्यालय तहसीलदार बैहर की जांच रिपोर्ट, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी आर.के. सिंह के द्वारा मानिकपुर तालाब निर्माण में प्रथमदृष्टया अनियमितता नहीं पाई गई है, ऐसा उल्लेख किया गया है, जो प्र.डी.-01“सी” प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट की मूल प्रति प्रकरण में संलग्न है, जो प्र.डी.-01 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि सिंगबाग तथा जलगांव डायवर्सन डेम का कार्य स्व0 डी.एल. आर्मो द्वारा कराया गया था, जो उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मानिकपुर तालाब में अनियमितता की



गई थी तथा उसके द्वारा कम लोगों को लगाकर ज्यादा राशि निकाल ली गई थी।

**37—** अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने लोकसेवक होकर ग्राम सिंगबाघ, जलगांव एवं मानिकपुर में स्टाप डेम, डायवर्सन एवं तालाब निर्माण हेतु राहत मद की स्वीकृत राशि 61,798/- रुपये के संबंध में गबन कर आपराधिक न्यास भंग किया। प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त की नियुक्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, तथापि बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है, क्योंकि अभियुक्त का जल संसाधन विभाग में उपयंत्री होना अविवादित है तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रकरण के आरंभ में धारा-197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का बचाव लिया गया है। न्यास भंग के आरोप हेतु सर्वप्रथम आवश्यक घटक जैसे कि अभियुक्त को संपत्ति का न्यस्त किया जाना तथा अभियुक्त द्वारा उक्त संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग करना अथवा अपने स्वयं के प्रयोग में संपरिवर्तित कर लेना प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को संपत्ति न्यस्त किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

**38—** प्रकरण कलेक्टर बालाघाट के ज्ञापन क्रमांक 14433/राहत 93 दिनांक 20.10.93 के आधार पर दर्ज हुआ था, जो कि नायब तहसीलदार बैहर की जांच पर आधारित था। न्यस्त किया जाना अपराध का आवश्यक अंग है, जिसे साबित किये बिना अपराध सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। संपूर्ण प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त को राशि न्यस्त किये जाने के संबंध में लेशमात्र भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। समस्त अभियोजन साक्ष्य मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों के फर्जी होने के संबंध में प्रस्तुत की गई है। प्रथमतः पंचनामा तैयार करने वाले अधिकारी के अतिरिक्त लगभग किसी भी साक्षी ने उक्त पंचनामों का समर्थन नहीं किया है, तत्पश्चात यदि तर्क के लिए उक्त पंचनामों को सत्य मान भी लिया जाए, तब भी अभियुक्त की जिम्मेदारी के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

**39—** संपूर्ण प्रकरण नायब तहसीलदार आर०के० सिंह की जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसकी साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराई गई है तथा उक्त रिपोर्ट को बचाव पक्ष द्वारा भी अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट की सत्यता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। यदि उक्त रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास किया जाए, जो कि अभियोजन का मुख्य आधार है, तब भी उक्त रिपोर्ट प्र.डी.01 ही अभियुक्त के निर्दोष होने का लेख करती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार मृत अभियुक्त डी०आर० लोंगरे द्वारा मानिकपुर स्टाप डेम की मजदूरी अभियुक्त उपयंत्री से कराई गई, जबकि उक्त हेतु वितरणकर्ता अधिकारी नियुक्त थे तथा प्रथमदृष्टया उक्त निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं थी। स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रक्रियात्मक त्रुटि हेतु विभागीय कार्यवाही हेतु दायी हो सकता है, परंतु आरोपित अपराध हेतु उसके विरुद्ध लेशमात्र तथ्य भी उपलब्ध नहीं है।

**40—** जहाँ तक फर्जी मस्टर रोल तैयार करके सामान्य आशय के अग्रसरण में छल करने का प्रश्न है, तब भी अभियोजन का मुख्य आधार रिपोर्ट प्र.डी.01 ही मानिकपुर स्टाप डेम में किसी अनियमितता से इंकार करती है। शेष निर्माण में अभियुक्त की संलग्नता के संबंध में कोई तथ्य ही उपलब्ध नहीं है और साक्ष्य के पूर्ण अभाव में ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि अभियुक्त उपयंत्री था और संपूर्ण दायित्व एस.डी.ओ. का था। फलतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ग्राम सिंघबाघ जलगांव एवं मानिकपुर में लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में उक्त ग्रामों की स्टाप डेम, डायवर्सन तालाब निर्माण हेतु राहत मद की स्वीकृत राशि में न्यस्त होते हुये राहत कार्य के 61,798/- रुपये के गबन का कार्य कर आपराधिक न्यास भंग किया तथा राहत कार्य के मद की राशि में से सदोष लाभ प्राप्ति हेतु फर्जी मस्टर रोल क्र.-125, 127, 926 से 938, 352 से 356, 941, 942, 335 से 342, 936 से 948, 127, 128, 343, 347, 331, 935, 87, 571 से 574, 79 से 87 तक, 567 से 578 तक उक्त मस्टर रोल काल्पनिक नाम तथा अधिक कार्य दिवस का उल्लेख कर बेइमानीपूर्वक प्रवंचित कर शासन से छल किया। फलतः अभियुक्त सिलबेस्टर एक्का को भारतीय दण्ड

संहिता की धारा-409, 420 / 34 के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

41— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 06.07.94 से दिनांक 08.07.94 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

42— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

43— प्रकरण में जप्तशुदा मस्टर रोल अपील अवधि पश्चात जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1, बैहर जिला बालाघाट को प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु  
कीय / विधिक उपयोग